

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2744]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2017/आश्विन 5, 1939

No. 27441

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2017/ASVINA 5, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2017

का.आ. 3136 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन) हटाना आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन) हटाना (चौथा संशोधन) आदेश, 2017 है।
 - (2) यह, उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा;
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 के उपखंड (2) की मद (iii) में अंक, अक्षर और शब्द "30 सितम्बर, 2017" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "30 सितम्बर, 2018" रखा जाएगा।

[फा.सं. एस-10/2/2017-ईसीआरएंडई]

पी.वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2016 के अधीन प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात उसमें – का.आ. सं. 3341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2016 ; का.आ. सं. 1288(अ) तारीख 25 अप्रैल, 2017 ; का.आ. सं. 1600(अ), तारीख 17 मई, 2017 और का.आ. सं. 2785(अ), तारीख 25 अगस्त, 2017, द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 27th September, 2017

- S.O. 3136(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to further amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:—
- 1. (1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) Order, 2017.
 - (2) It shall come into force on the 1st day of October, 2017.
- 2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), in item (iii), for the figures, letters and word "30th September, 2017", the figures, letters and word "30th September, 2018" shall be substituted.

[F.No.S-10/2/2017-ECR&E]

P.V. RAMA SASTRY, Jt. Secv.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended vide numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017 and S.O. 2785(E), dated the 25th August, 2017.